दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 22 दिसंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 85

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट के केस 200 पार, महाराष्ट्र-दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। दुनिया भर में आ रहे ताबड़तोड़ नए मामलों की वजह बना कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट भारत में भी तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में अब ओमिक्रॉन वैरिएंट के 200 से ज्यादा केस हो गए हैं। ताजा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, इन 200 मरीजों में से 77 ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामलों में भी महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे हैं। दोनों ही जगह ओमिक्रॉन वैरिएंट के अब तक 54-54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं, इसके बाद तेलंगाना में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में भी एक मामला दर्ज किया गया है। अभी तक देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहला केस नवंबर माह में दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। इसके कुछ ही दिनों के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक सामने आए ओमिक्रॉन के मरीजों में हल्के लक्षण देखे गए हैं या फिर इनमें कोई लक्षण नहीं हैं। हालांकि, मंगलवार को देश में कोरोना के महज 5 हजार 326 नए मामले ही दर्ज किए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश में नए कोविड केसों में गिरावट जारी है। वहीं, पिछले एक दिन में कोरोना से कुल 8 हजार 43 मरीज ठीक हुए हैं।

उत्तरप्रदेश में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को हुई उम्रकैद

बिजनौर (आरएनएस)। स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय, बिजनौर विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि 29 मई, 2019 को उसकी आठ साल की बेटी घर पर थी। इसी दौरान उसकी सहेली आई और उसे खेलने के लिए अपने घर लिवा कर ले गई। दोपहर करीब एक बजे महिला की बेटी रोते हुए घर आई। उसने बताया कि उसकी सहेली के भाई अतीक ने उसके साथ गलत काम किया। कोर्ट में दिए 164 सीआरपीसी के बयान में पीड़िता बालिका ने आरोपी अतीक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की बात कही थी। इस मामले में बहस सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अतीक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता द्वारा उठाई गई मानसिक पीड़ा और अपमान के लिए उसे जुर्माने की राशि देने के आदेश दिए हैं।

जेल में बच्चे जन्म होने के बाद अदालत ने दी राहत

» सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में आरोपी महिला को दे दी जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी महिला को जमानत दी है जिस पर आरोप है कि उसने लालच देकर अपनी एक रिश्तेदार को वेश्यावृत्ति में धकेला। न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरोपी महिला पिछले 18 महीने से जेल में थी और उसने वहां बच्चे को जन्म दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इसे जमानत देने के लिए एक उचित मामला करार दिया और दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस की दलील थी कि आरोपी को जमानत पर बाहर जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने अपनी रिश्तेदार को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और वकील टी के नायक की दलीलों का संज्ञान लिया कि आरोपी महिला स्वयं भुक्तभोगी है और वह 18 महीने की सजा भुगत चुकी है और उसने एक नवंबर 2020 को बच्चे को जन्म दिया था।

आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में चलाया तलाशी अभियान

नई दिल्ली (आरएनएस)। आयकर विभाग ने दिनांक 16.12.2021 को लोहा और इस्पात उत्पादों, बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पॉली फैब्स, एग्रो-टैक और खाद्य प्रसंस्करण आदि के कारोबार में लगे आसनसोल आधारित दो प्रमुख समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इन समूहों के पश्चिम बंगाल स्थित 30 से अधिक परिसरों में तलाशी कार्रवाई की गई।

एसडी कार्ड, व्हाट्सएप चैट आदि में संग्रह किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। तलाशी ले रही टीम ने यह भी पता लगाया है कि एसडी कार्डों का बेहिसाब बिक्री के समानांतर सेट का विवरण, वास्तविक उत्पादन डेटा की एक्सेल शीटों, समानांतर मिलान खातों की फाइलों तथा विभिन्न

पार्टियों को किए गए नकद भुगतान के विवरणों आदि को रखने के लिए उपयोग किया गया है।

जब्त किए गए एसडी कार्ड और संबंधित सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चला है कि इस बेहिसाबी नकदी राशि का रखरखाव निदेशकों के प्रमुख कर्मचारियों और संस्थाओं के मालिकों द्वारा किया गया है। एक समूह के प्रमुख व्यक्तियों ने यह भी स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी विनिर्माण इकाइयों से बेहिसाबी नकदी बिक्री के माध्यम से 66 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय जुटाई गई है। कुछ अन्य संस्थाओं में अप्रमाणित खरीद के दावों से संबंधित सबूत भी मिले हैं। ऐसी खरीदारी में 20 करोड़ रुपये की खरीदारी को निदेशकों ने अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया है।

इसके अलावा, दूसरे समूह के जब्त किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि एंट्री ऑपरेटरों द्वारा चलाई जा रही अनेक कागजी कंपनियों का इनके प्रमुख कारोबार में आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया है। इन मुखौटा इकाइयों को समूह के बेहिसाबी धन को शेयर पूंजी/गैर-जमानती ऋण को इन संस्थाओं की लेखा बही की प्रविष्टियों की आड़ में वापस करते हुए पाया गया है। इन संबंधित कंपनियों के निदेशकों द्वारा स्वीकार करने से इस बात की पुष्टि हुई है कि ऐसी रूटिंग राशि की मात्रा 40 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस प्रकार, इस तलाशी कार्रवाई ने इन समूहों द्वारा बेहिसाब नकद ब्रिकी, फर्जी खरीदारी के दावों के माध्यम से अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और आवास प्रविष्टियों के माध्यम से बेहिसाब आय को रूटिंग करने जैसे कर चोरी के विभिन्न तरीकों के अपनाए जाने का पता चला है।

इस तलाशी अभियान में 2 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और आभूषण भी जब्त किए गए हैं और अब तक कुल 125 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का भी पता चला है। आगे की जांच जारी है।

महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

» विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय पैनल को भेजा गया विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्षा सदस्यों के भारी विरोध के बीच बिल को संसदीय पैनल को भेजा दिया गया।

बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजू जनता दल, शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को जल्दबाजी में लाने और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श नहीं करने का आरोप लगाया। इस बिल के पास होने से महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के बराबर हो जाएगी। विधेयक को आगे के विचार-विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही, सदन ने 'चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021' को स्थायी समिति के विचारार्थ भेजे जाने को मंजूरी दी। सदन में हंगामा जारी रहने पर पीठासीन सभापति अग्रवाल ने दिन में दो बजकर करीब 30 मिनट पर कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कोच्चि (आरएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन प्रमाणपत्रों पर चिपकाए गए पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया।

केरल उच्च न्यायालय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता हैं और नागरिकों को उनकी तस्वीर और मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का अनुरोध वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, कोई यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुन लिए जाते हैं, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वह पद हर नागरिक का गौरव होना चाहिए।

अदालत ने कहा, ... वे सरकार की नीतियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख से भी असहमत हो सकते हैं। लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से इस महामारी की स्थिति में मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ टीकाकरण प्रमाण-पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।

केजरीवाल सरकार गांवों में विकास पर 399 करोड़ खर्च करेगी

» परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश : गोपाल राय

नई दिल्ली (आरएनएस)। केजरीवाल सरकार दिल्ली के विभिन्न गांवों में किए जाने वाले विकास कार्य पर 399 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आज हुई दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में गांवों में सड़क, नाली, जल निकाय, पार्क, खेल मैदान और सामुदायिक केंद्र समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 291 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार, शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 291 योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत, सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, चौपाल, व्यायामशाला आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 399 करोड़ रुपए की लागत से यह विकास कार्य किए जाएंगे। बैठक में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के सदस्यों ने लंबित प्रस्तावों का मामला उठाया। जिसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने विभाग को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों पर समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मंत्री गोपाल राय ने ग्राम विकास के कार्यों को करने वाली मुख्य कार्यकारी एजेंसी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देशित किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाई जाए। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार के साथ-साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

रिपोर्ट : 2021 में एशियाई मुद्राओं में रुपये का प्रदर्शन सबसे खराब

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय मुद्रा रुपया संभवतः एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी के रूप में वर्ष 2020 को बाय-बाय कहेगी। दरअसल, भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, रुपया एशियाई बाजार में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। इसके पीछे मुख्य वजह विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली है। गौरतलब है कि बिकवाली हावी होने का मतलब है कि घरेलू शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अक्तूबर दिसंबर तिमाही में भारतीय रुपया 1.9 फीसदी कमजोर हो चुका है। इस अवधि में भारतीय मुद्रा 74 रुपये प्रति डॉलर के

मुकाबले अब 76 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गई है। यहां तक कि पाकिस्तानी रुपये और श्रीलंकाई मुद्रा जैसी दक्षिण एशिया की छोटी करेंसियों के मुकाबले भी रुपये का प्रदर्शन कमजोर दिख सकता है। इसके विपरीत, पिछले 12 महीनों के दौरान अधिकतर एशियाई मुद्राओं ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़त दर्ज की है। अन्य करेंसियों की बात करें चीन की मुद्रा रेनमिंबी, फिलिपींस की मुद्रा पेसो, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन, मलेशिया की मुद्रा रिंगित और थाइलैंड की मुद्रा बाट में मजबूती दर्ज की गई।

420 करोड़ डॉलर की निकासी- रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 420 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 31,920 करोड़ रुपये) निकाले हैं। एशिया में ये किसी भी शेयर बाजार से निकाली गई सबसे ज्यादा पूंजी है। इसके अलावा कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के कारण भारतीय शेयर बाजार पर लगातार दबाव दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं।

ताइवान का डॉलर सबसे अच्छी मुद्रा- ताइवान का डॉलर इस वर्ष एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही। इसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की। इसके बाद चीन की मुद्रा रेनमिंबी साल के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.2 फीसदी मजबूत हुई। इसी प्रकार फिलिपींस की मुद्रा पेसो में साल के दौरान 5.2 फीसदी की मजबूती दर्ज की गई, जबकि दक्षिण कोरियाई मुद्रा वोन (4.2 फीसदी) और मलेशियाई रिंगित (1.0 फीसदी) में बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर, थाइलैंड की मुद्रा बाट, बांग्लादेश की टका और वियतनामी डोंग ने पिछले 12 महीनों के दौरान डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य को बनाए रखा।

आम आदमी की जेब पर सीधा असर- बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अमेरिकी डॉलर के महंगा होने से रुपया ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि विदेशों से सामान खरीदने के लिए रुपये को पहले डॉलर में बदला जाता है।

अब देश में आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड

» राज्यसभा में भी पारित हुए चुनाव सुधार विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सोमवार को लोकसभा से पारित हुए चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021 को आज राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग-अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। उनकी बायोमीट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी। एक दिन पहले ही लोकसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान की थी। विपक्ष विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रहा था।

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये

नई दिल्ली (आरएनएस)। कदन्न फसलों (ज्वार, बाजरा, रागी, मडुवा, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, चीना आदि मोटे अनाज) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को कदन्न वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुये, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था।

मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम उठाये गये, जिनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाज को

शामिल करना और कई राज्यों में कदन्न मिशन की स्थापना करना शामिल है। इसके बावजूद उत्पादन, वितरण और उपभोक्ताओं द्वारा मोटे अनाजों को अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियां कायम हैं। वितरण प्रणाली के अंतर्गत, समय आ गया है कि हम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमों का ध्यान 'कैलरी सिद्धांत' से हटाकर ज्यादा विविध खाद्यान्न संकुल प्रदान करने पर लगायें, जिसमें मोटे अनाज को शामिल किया जाये, ताकि स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चों और प्रजनन-योग्य महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम का इरादा है कि इन चुनौतियों का समाधान व्यवस्थित और कारगर तरीके से किया जाये।

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जायेगा और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जायेगा। इसके अलावा, इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जोत के किसानों के लिये सतत आजीविका के अवसर बनाना, जलवायु परिवर्तन को देखते हुये क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना।

आशय घोषणापत्र के तहत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच रणनीतिक तथा तकनीकी सहयोग पर ध्यान दिया जाना है, ताकि भारत में उन्नत खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिये जलवायु का सामना करने वाली कृषि को मजबूत किया जाये।

प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने और रणनीति को आगे बढ़ाने के संदर्भ में उत्कृष्ट व्यवहारों के समुच्चय का संयुक्त विकास।

राज्य सरकारों, आईआईएमआर और अन्य सम्बंधित संघों की मदद से चुने हुये राज्यों में गहन गतिविधियों के जरिये मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने के कार्य में तेजी लाने के लिये तकनीकी समर्थन प्रदान करना। दोनों पक्ष संयुक्त रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों के सम्बंधित विभागों, चुने हुये अकादमिक संस्थानों और मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के लिये राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेंगे।

ज्ञान प्रबंधन मंचों और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से अन्य विकासशील देशों के लाभ के लिये भारत की विशेषज्ञता का उपयोग करना।